किस्म मुकदमा 53,88188 आर.टी.एक्ट. कुशालसिह बनाम पाबुदान नम्बर 436 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
11/01/22	पत्रावली पेश हुई वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने निवेदन किया की प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा 08.01.2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षो के मध्य हुए राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करे तथा प्रकरण उपखण्ड कार्यालय नोहर को प्रेषित किया गया था। उभयपक्षो के अधिवक्ताओ के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,53 ,188 आरटीएक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो वाद सुनवाई दिनांक 01.06.2000 को अन्तिम डिक्री किया गया उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 01.06.2000 की अपील कल्याणसिह ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई जिसमे माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 16.02.2002 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट आशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 01.06.2000 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने किया जाने के निर्देश दिये गये माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 16.02.2002 के विरूद्व कुशालसिह व मेहताब सिह ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें उभयपक्षो ने राजीनामा किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर में प्रस्तुत किया गया माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने पक्षकारो का राजीनामा स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.01.2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को प्रेषित किया गया की राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से आने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षो की सुनवाई आरम्भ की गई उभयपक्ष ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर संशोधित शिर्षक पेश किया जो पत्रावली में शामिल किया गया। उभयपक्षो ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय के अनुसार प्रकरण का निस्तारण फरमावे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशा के अनुसार प्रकरण में उभयपक्षो के द्वारा मण्डल में किये गये राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना है उभयपक्ष माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने में सहमत है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उभयपक्षो के द्वारा राजस्व मण्डल में किये गये राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना हे जिसके सम्बध में उभयपक्ष सहमत है। अतःवाद वादी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय/निर्देशो की अनुपालना एवं उभयपक्षो की सहमति के अधार पर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 01.06.2000 को पारित किया गया निर्णय व डिक्री बहाल रखते हुए खसरा न0 55 में विनोदसिह के हिस्से की 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि कल्याणसिह के खाते में दर्ज की जाती है इसी अनुरूप खसरा न0 157 की कुशालसिह के हिस्से की 3.00 बीघा भूमि कल्याणसिह के नाम दर्ज की जाती है तथा श्रीकवर के हिस्से की आराजी 2.02 बीघा कल्याणसिह के नाम दर्ज की जाती है शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी एवं शेष खातेदारो के हिस्से यथावत रहेंगे इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 11/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपुत साकिन आपुवाला तहसील नोहर।
2. महताबसिंह (मृतक)

2/1 विनोदसिंह पि0मु0 महताबसिंह जाति राजपुत साकिन आपुवाला तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 कल्याणसिंह (मृतक)

1/1. नारायणसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत साकिन आपुवाल तहसील नोहर।

1/2. गणेशसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत साकिन आपुवाल तहसील नोहर।

1/3. भवरी कंवर पुत्री कल्याणसिंह पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला हाल उदायास तहसील व जिला झुझनू

1/4. लक्ष्मी कवर पुत्री कल्याणसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत साकिन आपूवाला हाल निवासी 23 एसटीजी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

1/5. सन्तोष कवंर पुत्री कल्याणसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपुत साकिन आपूवाला हाल निवासी 23 एसटीजी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

1/6. किरण कवंर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत पत्नी देवेन्द्रसिंह साकिन आपूवाला हाल 23 एसटीजी पीलीबंगा तहसील नोहर

1/7. मोहनी कवंर पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपुत साकिन आपुवाला तहसील नोहर।

2. पाबूदानसिंह (मृतक)

2/1. भवरसिंह (मृतक)

2/1/1. सन्तोष पत्नी भवरसिंह जाति राजपुत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

2/1/2. किशनसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर

2/1/3. सज्जनसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

2/2. सांवतसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

2/3. दुल्लेसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

2/4. किशोरसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपूत साकिन आपुवाला तहसील नोहर।

2/5 गुलाबसिंह पुत्र पाबुदासिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

2/6. मन्जू कवर पुत्री पाबुदान पत्नी महिपालसिंह साकिन आपूवाला हाल खेडला पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुझनू

3. इन्द्रसिंह (मृतक)

3/1. महावीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

3/2. भादरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

4. मु0 श्री कवंर बेवा अमरसिंह लावल्द (फोत)

5. कृष्ण पुत्रीसुखदेव जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

6. अमीलाल (मृतक)

6/1. धर्मपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

6/2. भूपराम पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

6/3. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

6/4. नत्थुराम पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

7. बगडावत पुत्र सुखदेव जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

8. आत्माराम पुत्र सुखदेव जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

9. दलीप पुत्र सुखदेव जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

10. भानीराम पुत्र सुखदेव जाति जाट साकिन आपूवाला तहसील नोहर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 436 सन 2021 निर्णय दिनांक- 11|01|2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 08.01.2020 की अनुपालना में मुताबिक राजीनामा निम्नप्रकार से वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि इस कार्यालय के द्वारा जारी पर्चा डिक्री दिनांक 01.06.2000 बहाल रखते हुए पर्चा डिक्री अंकित खसरा न0 55 में विनोदसिंह के हिस्से की 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि कल्याणसिंह के खाते में दर्ज की जाती है इसी अनुरूप खसरा न0 157 की कुशालसिंह के हिस्से की 3.00 बीघा भूमि कल्याणसिंह के नाम दर्ज की जाती है तथा श्रीकवर के हिस्से की आराजी 2.02 बीघा कल्याणसिंह के नाम दर्ज की जाती है शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी एवं शेष खातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner